**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड**

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

**UPHP010050002024**

**Sessions Case/822/2024**

**State of U.P. Vs. Jakiullah**

**सत्र परीक्षण संख्या 822/2024**

सरकार बनाम जकीउल्ला

अर्न्तगत धारा 75,333,351(2) बी0एन0एस0,
7/8 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा , जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 356/2024

**15.05.2025**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जकीउल्ला जेरे जमानत उपस्थित। अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 15.05.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दि0 17.04.2025 को साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी थी । परन्तु अधिवक्ता की 8 माह की बेटी की अचानक तबियत खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर चले जाने के कारण साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह न कर सके तथा न्यायालय द्वारा साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह का अवसर न मिलने पर प्रार्थी/ अभियुक्त सही ढंग से अपना बचाव प्रस्तुत नहीं कर पायेगा , साक्षी पी0डब्लू–3 को जिरह करने हेतु तलब किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः साक्षी पी0डब्लू–3 जिरह हेतु तलब किये जाकर उपरोक्त साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान करने की याचना की गयी ।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सख्त आपत्ति है । वाद को विलम्बित करने की नीयत से प्रार्थनापत्र दिया गया है । अतः उपरोक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थनापत्र पूर्व में प्रस्तुत गवाहान साक्षी पी0डब्लू–3 से प्रति परीक्षा का अवसर दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त वाद में दि0 17.04.2025 को

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.05.16 14:47:42 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी थी । प्रति परीक्षा हेतु बार बार पुकार कराने पर भी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे अपनी 8 माह की बेटी की अचानक तबियत खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर चले जाने के कारण साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह न कर सके थे ,साक्षी पी0डब्लू–3 से जिरह का अवसर न मिलने पर प्रार्थी/ अभियुक्त सही ढंग से अपना बचाव प्रस्तुत नहीं कर पायेगा । अतः साक्षी पी0डब्लू–3 जिरह हेतु तलब किये जाकर उपरोक्त साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान करने की याचना की गयी ।

यद्यपि अभियुक्त का यह आचरण अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दर्शित होता है , परन्तु प्रकरण के गुण दोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु उक्त साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान से जिरह का अवसर दिया जाना व साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । विलम्ब के कारण हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हर्जे से कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 15.05.2025 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 15.05.2025 अंकन 5000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान से जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है । साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान जिरह हेतु तलब हो । अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि 02.06.2025 को उक्त हर्जे की राशि साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान को प्रदान करे, तदोपरान्त साक्षी से जिरह किया जाना सुनिश्चित करे । पत्रावली साक्षी पी0डब्लू–3 कुरातुलैन खान से जिरह हेतु दि0 02.06.2025 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।